

भारत सरकार  
वित्तमंत्रालय  
वित्तीयसेवाएं वभाग  
लोक सभा

**अतारांकित प्रश्नसंख्या 347**

(जसिका उत्तर 24 जून, 2019/03 आषाढ, 1941 (शक) को दिया जाना है)

**बैंकों के वचाराधीन मामले**

347. श्रीगोपाल शेट्टी:

क्या वित्तमंत्रियह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) आज की तथिके अनुसार राष्ट्रीयकंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के समक्षवचाराधीन मामलों का बैंक-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) गत पांच वर्षोंके दौरान प्रत्येकवर्षमें एन सी एल टी को बैंक-वार कतिने मामले अंतरति किए गए हैं;
- (ग) गैर-नष्पादनकारी आस्तियों की घोषणा के बाद अपने बैंक ऋणों को चुकाने की इच्छा रखने वाले लघु और मध्यम उद्यमियों के मामलों को एन सी एल टी को नहीं भेजने के लिए क्या सरकार द्वारा बैंक अधिकारियों की जम्मेदारी तय करके उनके वरिद्ध कोई वभागीय कार्रवाईकी गई है/किए जाने का प्रस्तावहै; और
- (घ) यदिहां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

वित्तमंत्री(श्रीमतीनर्मलासीतारमण)

(क) और (ख): सूचना एकत्रकी जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) से (घ): दनिंक 31.05.2019 की स्थतिके अनुसार, सार्वजनिकक्षेत्रके बैंकों से प्राप् सूचना के अनुसार, लघु एवं मध्यम उद्यमी जो अपनी अनर्जकआस्तियां घोषति करने के पश्चात् अपने बैंक ऋणों का पुनर्भुगतानकरना चाहते हैं, के मामलों को एनसीएलटी को नहीं भेजने के लिए बैंक अधिकारियों के वरिद्ध कोई वभागीय कार्रवाईनहीं की गयी है।

\*\*\*